दिनांक 26.04.2016 को श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, भा0प्र0से0, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में भागलपुर प्रमण्डल क्षेत्रान्तर्गत नगर निकायों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—

दिनांक 26.04.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में भागलपुर प्रमण्डल क्षेत्रान्तर्गत नगर निकायों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई, जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर, श्रीमती दयावती देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद सुलतानगंज, श्रीमती इन्द्रा देवी, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत नवगछिया, श्री सदानन्द महतो, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत अमरपुर, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सुल्तानगंज/नगर पंचायत कहलगांव/नगर पंचायत नवगछिया/नगर पंचायत बांका, प्रोजेक्ट हेड, पैन इंडिया रैनहिल कंसोर्टियम/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पश्चिमी) भागलपुर, जलकल अधीक्षक, नगर निगम, भागलपुर उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया गया। तदोपरान्त भागलपुर जलापूर्त्ति व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में बरारी वाटर वर्क्स के प्रातः काल अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए निरीक्षण के आलोक में पैन इंडिया को विभिन्न निर्देश दिए गए। पैन इंडिया रैनहिल कंसोर्टियम द्वारा समर्पित PERT चार्ट को संशोधित कर यथाशीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साप्ताहिक प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी, जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त को समर्पित करने का निदेश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वाटर वर्क्स बरारी में साफ–सफाई का स्तर संतोषप्रद नहीं है। इसमें अपेक्षित सुधार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही एरिया डेवलपमेन्ट, तालाब की सफाई, आदि से संबंधित कार्य यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। पैन इंडिया के पदाधिकारियों को आधुनिक Real-Time डिटेक्सन टैक्नोलॉजी का Explore कर उसके अधिष्ठापन हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में पैन इंडिया के पदाधिकारियों से ट्यूबवेल की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दो ट्यूबवेल खराब स्थिति में है, जिसमें ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेंश की जिम्मेदारी पैन इंडिया की है। यथाशीघ्र खराब दोनों ट्यूबवेल यथा मारवाड़ी पाठशाला एवं नाथनगर को इसी सप्ताह चालू कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत 15, 20 एवं 25 एच०पी० मोटर एवं अन्य आवश्यक स्पेयर्स पार्टस को स्टॉक में रखने का निदेश दिया गया। खराब ट्यूबवेलों की सूची, उनकी मरम्मति का संभावित तिथि तथा टैंकर व्यवस्था का विवरण वेबसाईट पर डालने का निदेश दिया गया।

खराब चापानलों को युद्ध–स्तर पर टीम बनाते हुए मरम्मत करने का निर्देश दिया गया, ताकि जलापूर्त्ति की समस्या उत्पन्न न हो। पानी के टैंकरों, प्याऊ एवं स्टैण्ड पोस्ट, आदि जलापूर्त्ति से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ली गई।

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सामान्यतः जलसंकट की समस्या नहीं है। आवश्यकतानुसार उपलब्ध टैंकरों से जलापूर्त्ति का कार्य कराया जाता है।

पूर्व वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये आवंटन से आठ बोरिंग को चालू करने का निर्देश दिया गया। भेजे गये बोरिंग के नये प्रस्ताव को संशोधित कर पुनः भेजने का निर्देश दिया गया, जिसमें भागलपुर नगर निगम का जलापूर्त्ति से संबंधित सांकेतिक नक्शा, जिसमें जोन, वार्ड, बोरिंग, कहाँ प्रपोज कर रहें है, आदि विस्तृत रूप से दर्शाया गया हो।

<u>सुल्तानगंज नगर परिषद</u> :–

सर्वप्रथम जलापूर्त्ति की समीक्षा की गई। अध्यक्षा, श्रीमती दयावती देवी द्वारा बताया गया कि श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज स्थित दो घाट, जहाज घाट एवं सिढ़ी घाट से जल उठाने का कार्य करते है, वहाँ पर पीने के पानी तथा कांवरिया पथ की समस्या है। निर्देश दिया गया कि 30 अप्रैल को आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में आवश्यक प्रस्ताव पारित कर दोनों घाटों पर सबमर्सिबल बोरिंग अधिष्ठापित कर यथाशीघ्र जल समस्या को दूर कराया जाय।

इस क्रम में अध्यक्षा द्वारा बताया गया कि घाटों पर अवस्थित बोरिंग को केवल श्रावणी मेला के दौरान ही चालू किया जाता है। इस पर पी0एच0ई0डी0 के कार्यपालक अभियंता से जानकारी प्राप्त की गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि यह केवल श्रावणी मेला के लिए ही चालू किया जाता है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस बोरिंग को नगर परिषद को हैण्ड ओवर कराने की आवश्यकता है। इसपर निर्देश दिया गया कि नगर परिषद एवं पी0एच0डी0 के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जाँच कर हैण्ड ओवर एवं टेक ओवर की कार्रवाई की जाय तथा इस बोरिंग से वर्षपर्यंत जलापूर्त्ति की दिशा में आवश्यक कदम लिये जायें।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा सुलतानगंज में 6 करोड़ 30 लाख की लगात से योजना स्वीकृत है, जिसके प्रगति की जानकारी कार्यपालक अभियंता से ली गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जोन–01 में कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जोन–02 में भी बोरिंग का कार्य हो चुका है। पाईप नहीं आया है तथा जोन–03 में बोरिंग एवं पाईप लाईन का कार्य हो चुका है। पम्प हाउस, मोटर इंस्टॉल करना है, जिसे 30 मई तक पूरा कर लिया जायेगा। इनके द्वारा बताया गया कि सुलतानगंज के प्राजेक्ट के कार्य समाप्ति की तिथि 30 जुलाई है।

कार्यपालक अभियंता को सख्त निर्देश दिया गया है कि अगले माह सुलतानगंज में कैम्प कर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय। साथ ही विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दिया जाय।

साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि खराब चापाकलों की मरम्मति शीघ्र करायी जाय तथा नये प्याऊ का अधिष्ठापन कराया जाय।

कार्यपालक अभियंता, डूडा, भागलपुर को सुलतानगंज के लम्बित योजनाओं का सीएस जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है।

प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एल0ई0डी0 लगाने हेतु निविदा की जा चुकी है। निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र एल0ई0डी0 लाईट अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>कहलगांव नगर पंचायत</u> :–

सर्वप्रथम जलापूर्त्ति की समीक्षा की गई, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यहाँ एक ट्यूबवेल पी0एच0ई0डी0 का है, जो चालू अवस्था में है तथा खराब चापानलों की मरम्मति करायी जा रही है। वर्त्तमान में जलापूर्त्ति की समस्या नहीं है।

बुडको के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011 में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, बाढ़ में बह गया, जिसे पुनः स्वीकृत कराने की आवश्यता है। बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता से कहलगांव के जलापूर्त्ति से संबंधित डी0पी0आर0 की जानकारी ली गई। डी0पी0आर0 बनाने एवं कार्य करने हेतु आपसी सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया।

<u>नवगछिया नगर पंचायत</u> :–

जलापूर्त्ति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पी0एच0ई0डी0 द्वारा अधिष्ठापित हैण्ड पम्प खराब स्थिति में है। अध्यक्षा द्वारा बताया गया कि इसे पी0एच0ई0डी0 द्वारा ठीक नहीं कराया जाता है। इसपर पी0एच0ई0डी0 के अभियंता से जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 को इस प्रकार का कोई आवंटन नहीं आता है। इसपर निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर नगर निकाय एवं पी0एच0ई0डी0 के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर, हैण्ड ओवर एवं टेक ओवर की प्रक्रिया पूर्ण कर, खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक कराया जाय।

<u>बाँका नगर पंचायत</u> :–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खराब चापानलों की चार–पाँच टीम बनाकर मरम्मति करायी जा रही है। निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कराया जाय।

अमरपुर नगर पंचायत :–

कार्यपालक पदाधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के विषय में जानकारी ली गई, जिसमें मुख्य पार्षद द्वारा बताया गया कि पंचायत चुनाव में कोडरमा में ड्यूटी के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए। मुख्य पार्षद द्वारा बताया गया है कि अमरपुर में 01 ट्यूबवेल है, जिससे आम नागरिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पाईप लाईन नेटवर्क आधा–अधूरा है। यहाँ मात्र दो–चार ही स्टैण्ड पोस्ट है। इस संबंध में 15 से 20 वर्षों से पी0एच0ई0डी0 को बार–बार निर्देश दिया जा रहा है, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

निर्देश दिया गया कि इस हेतु पी0एच0ई0डी0 एवं नगर पंचायत के पदाधिकारियों का संयुक्त दल बनाकर निरीक्षण कराया जाय। सर्वप्रथम प्राक्कलन के अनुरूप पी0एच0ई0डी0 द्वारा कार्य को पूर्ण कराया जाय। तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रधान सचिव, पी0एच0ई0डी0 को पत्र दिया जाय कि उक्त योजना को पूर्ण कर उसे नगर निकाय को हैण्ड ओवर किया जाय, जिसका संचालन नगर पंचायत अमरपुर द्वारा किया जा सके।

नगर पंचायत, अमरपुर को निर्देश दिया गया कि अन्य नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों की तरह 13वें, 14वें, चतुर्थ एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि से वाटर टैंकर खरीदने की कार्रवाई की जाय। मुख्य पार्षद ने बताया गया निधि की उपलब्धता की जानकारी लेकर शीघ्र खरीद कर ली जाएगी।

बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि संयुक्त रूप से 100 घरों के लिए जलापूर्त्ति हेतु विस्तृत डी0पी0आर0 बनाकर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर ही डी0पी0आर0 बनाया जाय ताकि भविष्य में पूर्व से निर्मित योजना को ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न न हो।

सुलतानगंज नगर परिषद की मुख्य पार्षद द्वारा बताया गया कि जी0पी0टी0 चापानलों की मरम्मति के लिए मिस्त्री नहीं मिलता है। इस पर NULM के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस योजना के तहत जी0पी0टी0 चापानल मरम्मति कार्य का प्रशिक्षण दिलाने की कार्रवाई करें।

तदोपरान्त माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चयों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (व्यक्तिगत शौचालय) की समीक्षा की गयी, जिसमें निकायों को निम्न निर्देश दिये गए :–

1. कार्यपालक पदाधिकारी, सुलतानगंज नगर पंचायत को इसी माह 1108 शौचालयों को स्वीकृत कराने का निर्देश दिया गया।
2. कार्यपालक पदाधिकारी, कहलगॉव नगर पंचायत को मई माह तक पूर्व से चल रहे शौचालय निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

3. कार्यपालक पदाधिकारी, नवगछिया नगर पंचायत को निर्देश दिया गया कि 496 शौचालयों को इस माह में पूर्ण रूप से स्वीकृत किया जाय।
4. कार्यपालक पदाधिकारी, बाँका नगर पंचायत को इस माह में पूर्ण रूप से लक्ष्य के अनुरूप शौचालय स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया।

सब के लिए आवास योजना अन्तर्गत सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि जिन–जिन निकायों में दूसरे फेज का सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे यथाशीघ्र सर्वे कार्य प्रारंभ कर, लाभुकों की सूची तैयार कर लें ताकि स्वीकृति हेतु भेजा जा सके।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग मद, पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान मद की अवशेष राशि को इसी माह खर्च करने तथा राज्य योजना की योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

टाउन वेंडिंग कमिटी के संबंध में कहलगांव नगर पंचायत को निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र कमेटी का गठन कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय से संबंधित योजनाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्वे के संबंध में जानकारी दी गई। प्रस्तावित प्रपत्र के विषय में विस्तारपूर्वक समझाया गया। प्रपत्र शीघ्र ही नगर निकायों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यह कार्य एक सप्ताह में कराये जाने की योजना है। सर्वे कार्य हेतु सैनिटरी इंस्पेक्टर, तहसीलदार, विकास मित्र, आदि तथा अनुमंडल पदाधिकारी/जिलाधिकारी से अतिरिक्त कर्मचारियों को लेकर कराया जाना प्रस्तावित है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

29/4/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 2827/न0वि0 एवं आ0वि0, पटना दिनांक– 29/4/2016

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुलतानगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत कहलगांव/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत नवगछिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बांका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अमरपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रोजेक्ट हेड, बुडको/प्रोजेक्ट हेड, पैन इंडिया रैनहिल कंसोर्टियम/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग (पश्चिमी), भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/4/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2827 / न0वि0 एवं आ0वि0, पटना दिनांक– 29/04/2016

प्रतिलिपिः– भागलपुर प्रमंडल स्थित सभी नगर निकायों के महापौर / मुख्य पार्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2827 / न0वि0 एवं आ0वि0, पटना दिनांक– 29/04/2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / विशेष सचिव / अपर सचिव / टीम लीडर, NULM (PMC), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/4/2016

प्रधान सचिव